

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 795/2022 (धारा 14 सिक्वोरिटाईजेसन)  
इण्डिया बुल्स हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, पांचवा तल, बिल्डिंग नम्बर 27, केजी मार्ग कर्नाल पैलेस,  
नई दिल्ली।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. आशीष शर्मा

पता :- 49 ए, देव विला, कृष्णा नगर, त्रिवेणी चौराहा, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर।

एवं :- सी -67, सी ब्लॉक, माकरवाली रोड, स्टीफनरा चौराहा, पंचशील कालोनी, अजमेर।

एवं इंजीनियर्स अकेडमी, 100-102 राम नगर, बम्बाला पुलिसिया, प्रताप नगर, जयपुर।

2. विद्या भूषण शर्मा

पता :- सी-67; सी ब्लॉक माकरवाली रोड, स्टीफनरा चौराहा, पंचशील कालोनी, अजमेर।

एवं :- इण्डस्ट्रीयल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आईटीआई, नरीराबाद रोड, माखुपुरा, अजमेर।

एवं :- ए-265, मंझुसा पंचशील नगर, माकरवाली रोड, अपोजिट महावीर स्कूल, अजमेर।

3. प्रभा टोंग्या

पता :- 82, केशव नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर।

अप्रार्थी गण

ऋणी एवं गारन्टर



**The application under section 14 of The Securitisation  
and Reconstruction of Financial Assets and  
Enforcement of Security Interest Act, 2002.**

उपस्थित :- श्री प्रमोद कुमार अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 23.01.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 03.06.2017 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री आशीष शर्मा के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लैट नम्बर एस-1 एसएफ प्रगति एनक्लेव फ्लैट नम्बर 375 श्री गोपालनगर, गोपालपुरा बाईपास, जिला जयपुर कुल क्षेत्रफल 1328 वर्ग फीट को बन्धक रख कर 40,00,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 13.09.2021 को रजिस्टर्ड/कोरियर से नोटिस जारी किये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज सॉजिस्टर्ड शिवा गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिकारता को नीचे से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का मसौदा अदालत के सुनाया गया।
3. पत्रावली के अदालत के सफट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगण को कुल राशि 40,00,000/- समये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उम्मेदवार समस्त प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खता एन.पी.ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण दसुली के लिए बकाया ऋण राशि 40,00,000.00/- समये की ऋण सुविधा जमा करने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 13.08.2020 का अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन सॉजिस्टर्ड नोटिस जारी शिवा गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का चुकान भी नहीं शिवा गया है। प्रकरण में दसुली योग्य बकाया राशि एक लाख समये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई समस्त का बकाया प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई समस्त का मौलिक बकाया दिलाये जाने का सफट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।
4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्विकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री आशीष शर्मा के स्वामित्व की सम्पत्ति ब्लॉक नम्बर एस-1 एसएफ प्रगति एन.के.ए. प्लॉट नम्बर 375 श्री गोपालनगर, गोपालपुरा बाईपास, जिला जयपुर कुल क्षेत्रफल 1228 वर्ग फीट का मौलिक रूप से बकाया प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जलिये सम्पत्ति पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर प्रान्त को भेज कर लिखा जाये की उक्त सम्पत्ति का बकाया प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्दिष्ट करे एवं मालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु बाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से बन हाकर वापस भिजवाये जायेंगे।



(प्रकाश साजपुरीहित)  
जिला न्यायालय  
(कतलर) जयपुर